हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

23.10.17

अभिभाषकगण उपस्थित ... नहीं। ... पत्रावली दि. 05.12.17 को पेश हो।

05.12.17

अभिभाषकगण उपस्थित ... पत्रावली ... 05.01.18 को पेश हो।

05.1.18 बार संघ के प्रस्ताव के कारण अभिभाषकगण उपस्थिति नहीं दे रहे है। पी.ओ. साहब अन्य कार्यो में व्यस्त है । पत्रावली दिनांक 17.01.18 को पेश हो ।

17.01.18

अभिभाषकगण उपस्थित ... पत्रावली ... दिनांक 22.01.18 को पेश हो।

22.01.18 पत्रावली आदेश हेतु पेश हुई। पत्रावली एवं ग्रांम पंचायत से प्राप्त रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा ग्रांम पंचायत कोहला द्वारा जारी पटटा बहक गोपीराम पुत्र विश्वदत्त को निरस्त करने का निवेदन किया गया है। प्रार्थी द्वारा अपने निगरानी प्रार्थना पत्र में केवल ग्रांम पंचायत कोहला को ही पक्षकार संयोजित किया गया है। पटटाधारी को पक्षकार संयोजित नहीं किया गया है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार प्रभावित पक्षकार को पक्षकार को संयोजित किया जाना आवश्यक है।

अतः निगरानीकर्ता द्वारा प्रभावित पक्षकार को पक्षकार संयोजित नहीं करने के कारण निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति सहित ग्रांम पंचायत का रिकार्ड वापिस लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश सुनाया गया।

(प्रकाश चन्द्र चौधरी)
अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़